भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

बनाम

ईएसआई कॉर्पोरेशन

(अपील सिविल 1271 ऑफ़ 2008)

14 फरवरी, 2008

(जेजे. एसबी सिन्हा एवं जे.जे. वीएस सिरपुरकर)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948:

धारा 45-ए-कर्मचारियों के राज्य बीमा योगदान की वसूली के लिए कार्यवाही-नोटिसकर्ता तत्काल नियोक्ताओं, (ठेकेदारों) द्वारा श्रमिकों की नियुक्ति की दलील दे रहा है और कार्यवाही में उनके पक्षकार के लिए प्रार्थना कर रहा है -निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई -अभिनिर्धारित: अधिनियम मान्यता देता है ' 'तत्काल नियोक्ता' -धारा 45 ए मुख्य और तत्काल नियोक्ता दोनों से बकाया की वसूली करने में सक्षम बनाता है -यह दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान करता है -ठेकेदारों को पार्टियों के रूप में शामिल करने और/या आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बुलाने के लिए मामले को निर्धारण प्राधिकारी को प्रेषित किया जाता है-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत -सुनवाई का अवसर -अभ्यास और प्रक्रिया -आवश्यक पक्ष का कार्यान्वयन।

अपीलकर्ता, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45ए के तहत नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि उसने 19.7.1981 से 30.9.1991 की अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योगदान जमा नहीं किया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसने ऐसे ठेकेदारों को नियुक्त किया है जिन्होंने अपने कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित श्रमिकों को नियोजित किया है और ठेकेदारों के पास संबंधित रिकॉर्ड होंगे। अपीलकर्ता ने उक्त ठेकेदारों को कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता, मुख्य नियोक्ता होने के नाते, अधिनियम की धारा 40 और 41 के तहत तत्काल नियोक्ताओं, यानी ठेकेदारों से ईएसआई योगदान की वसूली कर सकता है और इसलिए ठेकेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था। अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की जिसे अंततः उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। व्यथित होकर, नोटिस प्राप्तकर्ता बीएचईएल ने तत्काल अपील दायर की।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.1 अधिनियम की धारा 45ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, एक तत्काल नियोक्ता या/और प्रमुख नियोक्ता यह भी दिखा सकता है कि वे कर्मचारियों की ओर से कोई योगदान जमा करने के लिए

उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि प्रश्न में प्रतिष्ठान उसके दायरे में नहीं आता है। अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम दोनों के तहत कार्यवाही का उद्देश्य वैधानिक योजनाओं के तहत कर्मचारियों के संबंध में किसी भी नियोक्ता से देय राशि का निर्धारण करना है। दोनों अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की परिकल्पना करते हैं। अधिनियम की धारा 45 ए से जुड़ा प्रावधान सुनवाई का उचित अवसर देने का वैधानिक आदेश प्रदान करता है। [पैरा 12] [912-बी, सी, डी]

1.2 अधिनियम की धारा 45 ए उपयुक्त प्राधिकारी को मुख्य और तत्काल नियोक्ता दोनों से ऐसे बकाया की वसूली करने में सक्षम बनाती है। अधिनियम की धारा 45 ए के तहत पारित आदेश का गंभीर दीवानी और/या वित्तीय परिणाम होता है क्योंकि इस प्रकार निर्धारित राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है। ठेकेदारों द्वारा नियुक्त सभी ठेका श्रमिकों के संबंध में देय राशि की मात्रा निर्धारित की जानी है। मुख्य नियोक्ता ठेकेदार से अंशदान वसूल करने का वैधानिक हकदार है; वे तत्काल नियोक्ता हैं। [पैरा 13] [912-ई, एफ, जी; 913-ए]

1.3 ईएसआई अधिनियम तत्काल नियोक्ता के अस्तित्व को मान्यता देता है। अधिनियम की धारा 44, न केवल प्रमुख नियोक्ता, बल्कि तत्काल नियोक्ता को भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करने और रजिस्टर बनाए रखने का आदेश देती है। इसके अलावा यह भी देखा जाना चाहिए कि अनुबंध श्रम

(विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, एक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों का एक रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है। ठेकेदार को उक्त श्रमिकों को एक रोजगार कार्ड भी जारी करना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा नियुक्त प्रत्येक श्रमिक के संबंध में मस्टर रोल, मजदूरी रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड भी बनाए रखना आवश्यक है। [पैरा 13-14] [913-ए, डी, ई, एफ]

भारतीय खाद्य निगम बनाम भविष्य निधि आयुक्त एवं अन्य। (1990) 1 एससीसी 68 पर भरोसा किया गया।

अशोक लीलैंड लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (2000) 2 एलएलजे 593 – अनुमोदित।

मद्रास जिमखाना (इसके सम्मानार्थ सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व), मद्रास बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इसके क्षेत्रीय निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व), मद्रास 1990 (2) श्रम कानून नोट्स 777 और कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड (दूसरा प्रकरण) [(1998) 9 एससीसी 74 संदर्भित।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम हैरिसन मलयालम प्राइवेट लिमिटेड (1993) 4 एससीसी 361 -अप्रयोज्य ठहराया गया।

2.1 वर्तमान मामले में, यहाँ अधिनियम की प्रयोज्यता ही प्रश्न में है। धारा 45 ए के तहत कार्यवाही में, न केवल अधिनियम की प्रयोज्यता बल्कि

उसकी देय मात्रा भी निर्धारण का विषय हो सकती है। विवाद प्रयोज्यता और मात्रा दोनों के संबंध में है, प्रत्यर्थी प्राधिकारी के पास तीसरे पर अभियोग चलाने या उन्हें सभी प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने का अपेक्षित क्षेत्राधिकार था। ठेकेदारों के उपर सटीक दायित्व का निर्धारण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है कि वे या उनमें से कुछ मुख्य नियोक्ता के नियंत्रण में नहीं हो सकते हैं तथ्यों को ध्यान में रखते हुये कि अनुबंध समाप्त हो गया है। [पैरा 15-17] [914-एफ, जी; 915-ए, डी]

2.2 निर्धारण प्राधिकारी ने ठेकेदारों के नाम और अन्य विवरणों के संबंध में याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इसलिए, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता। इसे अपास्त किया गया है। मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला ईएसआई निगम/निर्धारण प्राधिकरण को भेज दिया गया है। प्राधिकरण या तो ठेकेदारों को पक्षकारों के रूप में शामिल करेगा और/या उन्हें उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा। [पैरा 18] [915-ई, एफ, जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1271/2008

1993 की रिट याचिका संख्या 5030 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.08.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से मिलन के बनर्जी, एजी, गौरव बनर्जी, सौरभ

अग्रवाल एवं डी रूबी सिंह आहूजा।

प्रत्यर्थीगण की ओर से वी.जे. फ्रांसिस, अनुपम मिश्रा और जेनिस।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया

एस.बी. सिन्हा, जे. 1. अनुमति दी गई।

पृष्ठभूमि तथ्य:

2. यहां अपीलकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करता था। इसे 3.9.1992 को या इसके आसपास एक नोटिस प्राप्त हुआ, जो कथित तौर पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 45 ए के तहत जारी किया गया था, इस आधार पर कि उन्होंने 19.7.1981 से 30.9.1991 तक की अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योगदान जमा नहीं किया था।

3. अपने कारण बताओ में, उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में, अपीलकर्ता ने कहा कि संबंधित श्रमिकों को ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया गया था, जिनके पास यह दिखाने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड होंगे कि कोई योगदान देय था या नहीं। या क्या अधिनियम संबंधित श्रमिकों के संबंध में लागू था। संबंधित अवधि के दौरान शामिल ठेकेदारों की सूची उनके पते के साथ उक्त कारण बताओ पत्र के साथ संलग्न की गई थी। प्राधिकरण के समक्ष उक्त ठेकेदारों को अधिनियम की धारा 45 ए के तहत तत्काल नियोक्ता के रूप में उक्त कार्यवाही में पक्षकार बनाने के लिए

प्रार्थना की गई थी।

4. दिनांक 8.3.1993 के एक पत्र द्वारा उक्त प्रार्थना को प्रत्यर्थी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया:

> "उपरोक्त के संदर्भ में, मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपको सूचित करना चाहता हूं कि बीएचईएल कार्य के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया जाए। यह कारखाने का आंतरिक मामला है और हमारा निगम आपको ठेकेदारों के माध्यम से आपके द्वारा किए गए व्यय की प्रकृति को समझाने के लिए उन ठेकेदारों को अपने साथ लाने में किसी भी तरह से नहीं रोक रहा है। आपको अपना मामला उचित रूप से प्रस्तुत करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। आप ईएसआई अधिनियम की धारा 40 और 41 के तहत अपने ठेकेदारों (यानी तत्काल नियोक्ता) से नियोक्ता के हिस्से के साथ ईएसआई योगदान की वसूली कर सकते हैं। ईएसआई अधिनियम की धारा 41(1) के अनुसार, प्रमुख नियोक्ता तत्काल नियोक्ता से योगदान की वसूली कर सकता है, यहां तक कि किसी भी अनुबंध के तहत उनके द्वारा देय किसी

भी राशि से कटौती के रूप में या यहां तक ऽकि ठेकेदारों द्वारा देय ऋण के रूप में भी। इसलिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ठेकेदारों को आपको (प्रमुख नियोक्ता) वसूली के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाए। इसलिए, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हलफनामे में बताए गए आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

कार्यवाही:

5. इसके खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें मद्रास जिमखाना (इसके सम्मानार्थ सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व), मद्रास बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इसके क्षेत्रीय निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व), मद्रास [1990 (2) श्रम कानून नोट्स *777*] पर भरोसा किया गया था। दिनांक 11.4.2000 के एक आदेश द्वारा, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त निर्णय की सत्यता पर संदेह करते हुए मामले को एक डिवीजन बेंच को यह कहते हुए भेज दिया:

"भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त

निर्णय, अर्थात् एआईआर 1993 एससी पृष्ठ 2655 और दूसरे निर्णय, अर्थात् जेटी 1989 (4) एससी 380, को ध्यान में रखते हुए, मेरी सम्मानजनक राय है कि यह निर्णय न्यायालय ने 1990-2 एलएलएन पृष्ठ 777 में बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मुद्दे का सही निर्णय नहीं लिया है और इसलिए, यह निश्चित रूप से एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की मांग करता है। इसलिए, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले से जुड़े मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए भेजने के लिए संदर्भ के इस आदेश, कारणों वाले मेरे फैसले और महत्वपूर्ण कागजात को माई लॉर्ड माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।"

6. आक्षेपित निर्णय के कारण, मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मद्रास जिमखाना (सुप्रा) में उक्त निर्णय को अधिप्रभावी करते हुए कहा:

"ईएसआई अधिनियम की योजना मुख्य नियोक्ता और अनुबंध कर्मचारियों द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों के

संबंध में क्रमशः प्रमुख नियोक्ता और तत्काल नियोक्ता द्वारा देय योगदान के अलग और स्वतंत्र निर्धारण की परिकल्पना नहीं करती है। जब एक बार प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्तियों को कारखाने या प्रतिष्ठान के परिसर में या उसके माध्यम से या प्रमुख नियोक्ता की देखरेख में नियोजित किया गया था और यदि किसी भी कारण से प्रमुख नियोक्ता धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड और रजिस्टर प्रस्तुत करने, प्रदान करने या बनाए रखने में विफल रहता है। निगम तत्काल नियोक्ता की तलाश किए बिना प्रमुख नियोक्ता के खिलाफ अनुबंध कर्मचारियों के संबंध में देय योगदान निर्धारित करने की अपनी शक्तियों के भीतर है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, ईएसआई अधिनियम की धारा 45-ए के तहत एक जांच में केवल इतना आवश्यक है कि प्राधिकारी को संबंधित नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 3.9.1991 को कारण बताओ नोटिस जारी करके इसका अनुपालन किया गया है, जिसमें निगम ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का भी मौका दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, अर्थात्। भारतीय खाद्य

निगम, अशोक लीलैंड लिमिटेड और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, उन्हें कोई सहायता नहीं दे रहे हैं।"

विवाद:

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री मिलन के. बनर्जी ने कथन किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वह अधिनियम के प्रावधानों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहा है। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने अशोक लीलैंड लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम [(2000) 2 एलएलजे 593] मामले में पी. सदाशिवम, जे. (जैसा कि हिज लार्ॅडशिप उस समय) के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया है।

8. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री फ्रांसिस, हालांकि, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करेंगे।

अधिनियम:

9. यह अधिनियम बीमारी, मातृत्व और रोजगार चोट के मामलों में कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करने और उनके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

'कर्मचारी' शब्द की व्यापक परिभाषा दी गई है। अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (9) के अनुसार, इसमें मुख्य नियोक्ता द्वारा या तत्काल नियोक्ता द्वारा या उसके माध्यम से सीधे नियोजित व्यक्ति शामिल है।

धारा 2(13) में 'तत्काल नियोक्ता' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> ‘‘2(13) 'तत्काल नियोक्ता, उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में, एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के परिसर में निष्पादन का कार्य किया है, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है या प्रधान नियोक्ता या उसके एजेंट की देखरेख में किसी भी काम का पूरा या उसका कोई हिस्सा, जो सामान्य तौर पर कारखाने के काम का हिस्सा है या मुख्य नियोक्ता की स्थापना का हिस्सा है या किए गए काम के लिए प्रारंभिक है, या ऐसे किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के उद्देश्य से आनुषंगिक, और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जिसके द्वारा उसके साथ सेवा अनुबंध में प्रवेश करने वाले कर्मचारी की सेवाएं अस्थायी रूप से मुख्य नियोक्ता को उधार दी जाती हैं या किराए पर दी जाती हैं और इसमें एक ठेकेदार भी

शामिल है''

धारा 2(17) प्रमुख नियोक्ता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती है:

"2(17) प्रमुख नियोक्ता मतलब

(i) किसी कारखाने में, कारखाने का मालिक या अधिभोगी और ऐसे स्वामी या अधिभोगी का प्रबंध एजेंट शामिल है, और जहां किसी व्यक्ति को फैक्टरी अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के तहत कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है, इस प्रकार नामित व्यक्ति;

(ii) भारत में किसी भी सरकार के किसी भी विभाग के नियंत्रण में किसी भी प्रतिष्ठान में, ऐसी सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त प्राधिकारी या जहां कोई प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, विभाग का प्रमुख;

(iii) किसी अन्य प्रतिष्ठान में, प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति ;

अधिनियम का अध्याय IV उसमें दिए गए तरीके से सभी कर्मचारियों के अनिवार्य बीमा का प्रावधान करता है। धारा 39 अंशदान के भुगतान का प्रावधान करती है। धारा 40 में मुख्य नियोक्ता को पहली बार में अंशदान का भुगतान करने का प्रावधान है, जबकि कर्मचारी से सीधे अंशदान की वसूली के लिए एक सक्षम प्रावधान अधिनियमित किया गया है यदि वह सीधे प्रधान नियोक्ता द्वारा नियोजित है। धारा 41 प्रमुख नियोक्ता को तत्काल नियोक्ता से भुगतान की गई अंशदान की राशि या तो किसी भी अनुबंध के तहत मुख्य नियोक्ता द्वारा उसे देय किसी भी राशि से कटौती करके या तत्काल नियोक्ता द्वारा देय ऋण के रूप में वसूल करने का अधिकार देता है। धारा 41 की उप-धारा (1ए) में आदेशित है कि तत्काल नियोक्ता नियमों के अनुसार या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा और उप-धारा (1) के तहत देय किसी भी राशि के निपटान से पहले इसे प्रमुख नियोक्ता को जमा करेगा।

हालाँकि, हम देख सकते हैं कि उक्त प्रावधान 1989 के अधिनियम संख्या 29 तिथि 1.2.1991 द्वारा पेश किया गया था। धारा 45ए उस तरीके को निर्धारित करती है जिसमें कुछ मामलों में देय योगदान निर्धारित किया

जाएगा, उप-धारा (1) में इस प्रकार लिखा है:

''45 ए(1) जहां किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के संबंध में धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार कोई रिटर्न, विवरण, रजिस्टर या रिकॉर्ड प्रस्तुत, प्रदान या बनाए नहीं रखा जाता है या धारा 45 उपधारा (2) के तहत में निर्दिष्ट निगम के किसी निरीक्षक या अन्य अधिकारी, प्रिंसिपल या तत्काल नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों को करने या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी भी तरह से रोका जाता है, तो निगम अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आदेश द्वारा, उस कारखाने या प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में देय योगदान की राशि निर्धारित कर सकता है।

बशर्ते कि निगम द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रिंसिपल या तत्काल नियोक्ता या कारखाने या प्रतिष्ठान के प्रभारी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।"

अधिनियम का अनुप्रयोग:

10. प्रश्नाधीन अवधि 19.7.1981 से 30.9.1991 है। यह भी कहा गया है कि उक्त अवधि के लिए योगदान का कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।

कारण बताओ नोटिस दिनांक 3.9.1992 का खंड (4) इस प्रकार है

"और जबकि अधिनियम की धारा 45ए के तहत आपके कारखाने के प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में देय योगदान की राशि निर्धारित करने और वसूल करने का प्रस्ताव है, जैसा कि नीचे दिया गया है":

क्रम सं०	बकाया की प्रकृति	अवधि		देय योगदान की राशि	गणना के लिए आधार
		से	तक		
1	2	3ए	3बी	4	5
	तत्काल नियोक्ता (ठेकेदारों) के	जुलाई 1981	सित. 1991	3,32,45, 042.95	जैसा कि परिशिष्ट

	माध्यम से भुगतान की गई मजदूरी पर देय योगदान			रूपये	में दिखाया गया है।

और जबकि, यह प्रस्तावित है वहन करने के लिए मैसर्स को उक्त निर्धारण और वसूली के खिलाफ कारण बताने के लिए धारा 45ए(1)(बी) के तहत आवश्यक अवसर।

कृपया 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि ऊपर प्रस्तावित अनुसार मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आपको उसे स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता है या ऊपर निर्दिष्ट समय के भीतर उपरोक्त अवधि के लिए आपके रिकॉर्ड के अनुसार वास्तव में देय योगदान का पूरा विवरण देते हुए एक विवरण दर्ज करने का अवसर दिया जाता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने मामले का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आप अपने मामले को समझाने के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ 24.09.1992 को सुबह 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।

11. अपीलकर्ता ने यहां तीसरे पक्ष/ठेकेदार को पक्षकार बनाने के लिए अपने आवेदन के समर्थन में एक हलफनामा की पुष्टि की, जिसमें कहा गया

है:

"प्रश्न की अवधि के लिए, तीसरे पक्ष/ठेकेदार शामिल हैं और केवल उनके पास प्रासंगिक रिकॉर्ड होंगे यह निर्धारित करने के लिए योगदान बिल्कुल भी देय है या नहीं, या क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 प्रथमतः लागू होता है।

इस प्रबंधन अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास तीसरे पक्ष/ठेकेदारों द्वारा भुगतान किए गए वेतन, यदि कोई हो, के संबंध में विवरण नहीं है। प्रासंगिक जानकारी, सामग्री और ऐसी ही अन्य चीजें केवल उक्त तृतीय पक्षों/ठेकेदारों के पास ही उपलब्ध होंगी जिनके नाम और पते जहां तक वे वर्तमान में उपलब्ध हैं, इस याचिका के साथ संलग्न हैं। बाकी तीसरे पक्षों/ठेकेदारों के नाम और पते, जो संबंधित अवधि में शामिल थे, उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराए जाएंगे।"

उक्त शपथ पत्र के परिशिष्टों में उल्लिखित ठेकेदारों को पक्षकार बनाने

की प्रार्थना की गई थी।

नजीर:

12. भारतीय खाद्य निगम बनाम भविष्य निधि आयुक्त एवं अन्य में। [(1990) 1 एससीसी 68], इस न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7ए के प्रावधानों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

> "उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जाएगा कि आयुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति लागू करने और शपथ पर किसी भी व्यक्ति की जांच करने के लिए अधिकृत है। उसके पास दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की आवश्यकता वाली शक्ति है। आयुक्त को यह शक्ति कानून के अमूर्त प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए नहीं, बल्कि श्रमिकों की पहचान करके योगदान और अन्य देय राशि के भुगतान में वास्तविक ठोस अंतर निर्धारित करने के लिए दी गई थी। आयुक्त को उचित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी साक्ष्य एकत्र करने और सभी सामग्री को एकत्रित करने के लिए अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। यह आयुक्त का कानूनी कर्तव्य है। यह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता होगी,

खासकर जब कार्यवाही में कोई पक्ष किसी विशेष व्यक्ति से साक्ष्य मांगने का अनुरोध करता है।"

उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उक्त निर्णय को अलग करते हुए कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 ए के प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं:

"किसी प्रतिष्ठान पर अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद का निर्णय करने और अधिनियम, योजना या अधिनियम पेंशन योजना या बीमा योजना, जैसा भी मामला हो, के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी नियोक्ता से देय राशि का निर्धारण करने के लिए धारा 7-ए की उप-धारा (1) के तहत एक जांच शुरू की जा सकती है। ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम के तहत अधिकारियों को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट में निहित हैं, हालांकि ऐसी शक्तियां कुछ निर्दिष्ट मामलों तक ही सीमित हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना या शपथ पर उसकी जांच करना,

दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की आवश्यकता, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना। धारा 7-ए के तहत एक कल्पना गढ़ी गई है कि इसके तहत की गई जांच को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन उप-धारा (3) के माध्यम से भी अनिवार्य है जो कहता है कि उप-धारा (1) के तहत कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित नियोक्ता को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसी विशिष्ट शक्तियां संबंधित अधिकारियों को कानून के अमूर्त प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए नहीं दी गई हैं, बल्कि श्रमिकों की पहचान करके योगदान और अन्य देय राशि के भुगतान में वास्तविक ठोस अंतर निर्धारित करने के लिए दी गई हैं और प्राधिकरण को अपनी सभी शक्तियों का उपयोग उचित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी सबूतों और सभी सामग्रियों का मिलान करना चाहिए। और इस तरह धारा 7-ए के तहत एक जांच कमोबेश एक सिविल कोर्ट के समक्ष एक मुकदमे की सुनवाई है और प्रकृति में न्यायिक है। संबंधित प्राधिकारियों

को इस प्रकार प्रदान की गई शक्तियां वैधानिक शक्तियां हैं, ऐसे प्राधिकारियों पर स्थिति उत्पन्न होने पर इनका प्रयोग करने का कानूनी कर्तव्य बनता है और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता, विशेष रूप से तब जब कार्यवाही में शामिल कोई पक्ष इस तरह के प्रयोग के लिए अनुरोध करता है जांच में पारित आदेश को निरस्त की ओर ले जायेगा।"

विश्लेषण:

12. हम, विद्वान न्यायाधीशों के संबंध में, दोनों प्रावधानों के अभिप्राय और उद्देश्य में कोई महत्वपूर्ण अंतर नोटिस करने में विफल रहते हैं। हमारी राय में, दोनों क़ानूनों का अभिप्राय और उद्देश्य, सभी आशय और अभिप्राय के लिए, एक ही है। अधिनियम की धारा 45ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, एक तत्काल नियोक्ता या प्रमुख नियोक्ता यह भी दिखा सकता है कि वे कर्मचारियों की ओर से कोई योगदान जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि प्रश्न में प्रतिष्ठान उसके दायरे में नहीं आता है। अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम दोनों के तहत कार्यवाही का उद्देश्य वैधानिक योजनाओं के तहत कर्मचारियों के संबंध में किसी भी

नियोक्ता से देय राशि का निर्धारण करना है। दोनों अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की परिकल्पना करते हैं। अधिनियम की धारा 45ए से जुड़ा प्रावधान सुनवाई का उचित अवसर देने का वैधानिक आदेश प्रदान करता है।

13. ठेकेदारों द्वारा नियुक्त सभी ठेका श्रमिकों के संबंध में देय राशि की मात्रा निर्धारित की जानी है। मुख्य नियोक्ता ठेकेदार से अंशदान वसूल करने का हकदार होगा; वे तत्काल नियोक्ता हैं। जबकि भविष्य निधि अधिनियम के तहत, प्रमुख नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी है; अधिनियम के संदर्भ में, प्रमुख नियोक्ता उनके लिए तत्काल नियोक्ता द्वारा देय योगदान की राशि वसूल करने का हकदार है।

अधिनियम की धारा 45ए उपयुक्त प्राधिकारी को मुख्य और तत्काल नियोक्ता दोनों से ऐसे बकाया की वसूली करने में सक्षम बनाती है। यह उन दोनों को सुनने का अवसर प्रदान करता है।

धारा 41(1ए) के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 का विनियम 32 तत्काल नियोक्ता को निर्धारित फॉर्म में रजिस्टर बनाए रखने का आदेश देता है। अधिनियम की धारा 45ए के तहत पारित आदेश का गंभीर दीवानी और/या वित्तीय परिणाम होता है क्योंकि इस प्रकार निर्धारित राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती

है। अधिनियम की धारा 44, न केवल प्रमुख नियोक्ता, बल्कि तत्काल नियोक्ता को भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करने और रजिस्टर बनाए रखने का आदेश देती है। धारा 44 की उपधारा (2) के तहत, जब ऐसी रिपोर्ट मुख्य नियोक्ता या तत्काल नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो निगम कारखाने या प्रतिष्ठान के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे, निगम को यह निर्णय लेने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कि क्या कारखाना या प्रतिष्ठान एक कारखाना या प्रतिष्ठान है जिस पर यह अधिनियम लागू होता है। अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (3) प्रिंसिपल और तत्काल नियोक्ताओं को नियमों के अनुसार आवश्यक रजिस्टर या रिकॉर्ड बनाए रखने का आदेश देती है। धारा 45 निगम के निरीक्षक को यह अधिकार भी देती है कि वह तत्काल या प्रमुख नियोक्ता से उसे ऐसी जानकारी देने की मांग कर सके जो वह उनके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में आवश्यक समझे। इसलिए, अधिनियम तत्काल नियोक्ता के अस्तित्व को मान्यता देता है।

14. हम यह भी देख सकते हैं कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, एक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों का एक रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है। ठेकेदार को उक्त श्रमिकों को एक रोजगार कार्ड भी जारी करना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा नियुक्त प्रत्येक

श्रमिक के संबंध में मस्टर रोल, मजदूरी रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड भी बनाए रखना आवश्यक है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम हैरिसन मलयालम प्राइवेट लिमिटेड [(1993) 4 एससीसी 361] पर डिवीजन बेंच और श्री फ्रांसिस द्वारा भी भरोसा रखा गया है। दुर्भाग्यवश, उसमें इस न्यायालय का ध्यान भारतीय खाद्य निगम (उपर) के मामले की ओर आकर्षित नहीं किया गया। अन्यथा भी, उक्त निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्य पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। उसमें विचार के लिए यह प्रश्न उठा कि क्या ठेकेदार के जो कर्मचारी कैजुअल कर्मचारी थे, वे पहचाने जाने योग्य थे या नहीं। इसी संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा:

> "अधिनियम के तहत, यह योजना समूह बीमा के समान है। भुगतान किया गया योगदान बीमाकृत श्रमिक को अधिनियम के तहत लाभ का हकदार बनाता है। हालाँकि, यदि लाभ अवधि के दौरान वह किसी भी लाभ के लिए योग्य नहीं है, तो उसे योगदान का कोई भी हिस्सा वापस नहीं मिलता है। उसके और उसके नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को अधिनियम के तहत बनाए गए बीमा कोष में जमा किया जाता है और यदि वह रोजगार में बना रहता है,

तो यह अन्य लाभ अवधि के दौरान दूसरों के लिए या स्वयं के लिए उपलब्ध हो जाता है। इससे भी अधिक, किए गए योगदान और प्राप्त लाभ के बीच कोई संबंध नहीं है। योगदान सभी कामगारों के लिए एक समान है और उनके द्वारा अर्जित मजदूरी का एक प्रतिशत है। इसका उन जोखिमों से कोई संबंध नहीं है जिनके विरुद्ध कर्मचारी वैधानिक रूप से बीमाकृत है। यही कारण है कि अधिनियम में कारखाने या प्रतिष्ठान के अधिनियम के अंतर्गत आने के बाद योगदान का भुगतान करने के लिए स्वचालित दायित्व की परिकल्पना की गई है, और योगदान का भुगतान करने का दायित्व ऐसे कारखाने या प्रतिष्ठान पर अधिनियम के लागू होने की तारीख से शुरू होता है। दायित्व तभी समाप्त होता है जब अधिनियम कारखाने/प्रतिष्ठान पर लागू होना बंद हो जाता है। योगदान करने की बाध्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि योगदान अवधि और लाभ अवधि समाप्त होने के बाद विशेष कर्मचारी या कर्मचारी कर्मचारी/कर्मचारी नहीं रहेंगे या नहीं।

15. उस मामले में, यह विवादित नहीं था कि अधिनियम आकस्मिक श्रमिकों पर लागू होता है। हालाँकि, यहाँ अधिनियम की प्रयोज्यता ही प्रश्न में है। धारा 45 ए के तहत कार्यवाही में, न केवल अधिनियम की प्रयोज्यता बल्कि उसकी देय मात्रा भी निर्धारण का विषय हो सकती है।

16. कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम हैरिसन मलयालम लिमिटेड मामले में भी इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। (दूसरा मामला) [(1998) 9 एससीसी 74, जिसमें इस न्यायालय ने पहले मामले का जिक्र करते हुए राय दी कि नियोक्ता का योगदान करने का दायित्व रोजगार के पहले दिन से ही उत्पन्न होता है। कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है, लेकिन विवाद प्रयोज्यता और मात्रा दोनों के संबंध में है, हमारी राय में, प्रत्यर्थी प्राधिकारी के पास तीसरे पर अभियोग चलाने या उन्हें सभी प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने का अपेक्षित क्षेत्राधिकार था।

खाद्य निगम (सुप्रा) और मद्रास जिमखाना (सुप्रा) के बाद अशोक लीलैंड, पी. सदाशिवम, न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया:

13.....प्रत्यर्थी को ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों को भी शामिल करने का निर्देश दिया जाता है यदि उसे (प्रत्यर्थी) लगता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आवश्यक व उचित पक्षकार हैं और विवाद में मामले के निर्णय के लिए और आगे बढ़ने के लिए।"

निष्कर्ष:

17. ठेकेदारों की ओर से सटीक दायित्व का निर्धारण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि वे या उनमें से कुछ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्य नियोक्ता के नियंत्रण में नहीं हो सकते हैं कि अनुबंध समाप्त हो गया है। यह कहना दोहराना होगा कि प्रमुख नियोक्ताओं के पास ठेकेदारों/तत्काल नियोक्ताओं से बकाया वसूलने का वैधानिक अधिकार है।

18. ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारण प्राधिकारी ने ठेकेदारों के नाम

और अन्य विवरणों के संबंध में याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इसलिए, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता। इसे तदनुसार अपास्त किया गया है। अपील की अनुमति दी गई है और मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला ईएसआई निगम/निर्धारण प्राधिकरण को भेज दिया गया है। प्राधिकरण या तो ठेकेदारों को पार्टियों के रूप में शामिल करेगा और/या उन्हें उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिमांशु गर्ग (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।